

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-1

लखनऊ:: दिनांक 26 फरवरी, 2024

विषय:- उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 (यथासंशोधित) के आलोक में विभागीय कार्यवाहियों का नियमानुसार निस्तारण किए जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-725/सैतालिस/का-1-2022/13(2)/2022, दिनांक 19 जुलाई, 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके संलग्नक के रूप में अनुशासनिक कार्यवाही के प्रकरणों में जांच अधिकारी एवं अनुशासनिक प्राधिकारी हेतु, जिसका अनुपालन आवश्यक है (Do's) एवं निषेधात्मक निर्देश (Don'ts) निर्गत किये गये हैं।

2- उक्त शासनादेश के संलग्नक में निषेधात्मक निर्देश (Don'ts) का बिन्दु संख्या-9 निम्नवत् है:-

‘यदि मामला जांच हेतु प्रशासनाधिकरण/ सतर्कता अधिष्ठान/अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दिया गया हो तो वैभागीक स्तर पर औपचारिक जांच नहीं की जानी चाहिए और यदि वैभागीक स्तर पर जांच चल रही हो तो रोक देनी चाहिए तथा प्रशासनाधिकरण की अंतिम जांच आख्या प्राप्त होने पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जानी चाहिए।’

3- आपराधिक अभियोजन एवं विभागीय जांच साथ-साथ करने के संबंध में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-13/27/91-का-1-2000 दिनांक 06 सितम्बर, 2000 द्वारा स्थापित व्यवस्था तथा निषेधात्मक निर्देश के बिन्दु संख्या-9 के निर्वचन पर कतिपय प्रकरण कार्मिक विभाग में प्राप्त हो रहे हैं।

4- अतएव उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-725/सैतालिस/का-1-2022/13(2)/2022, दिनांक 19 जुलाई, 2022 के संलग्नक के रूप में निर्गत निषेधात्मक निर्देश (Don'ts) के बिन्दु संख्या-9 में उल्लिखित व्यवस्था को निरसित करते हुए, उक्त के स्थान पर निम्न व्यवस्था प्रतिस्थापित की जाती है:-

“ यदि मामला जांच हेतु प्रशासनाधिकरण/सतर्कता अधिष्ठान/अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दिया गया हो, तो शासनादेश संख्या- 13/27/91-का-1-2000, दिनांक 06 सितम्बर, 2000 द्वारा स्थापित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाय। ”

शासनादेश संख्या-725/सैतालिस/का-1-2022/13(2)/2022, दिनांक 19 जुलाई, 2022 के साथ संलग्न निषेधात्मक निर्देश का बिन्दु संख्या-9, उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।